

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

ईश्वरसिंह बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र स्थगन

मु0न0 25/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
-------------	---------------------------------	--

06.09.2017

अपीलांट की ओर से वकील श्री सागरमल धायल उपस्थित।  
 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2017 मु.न. 15/2017 अनुवानी सरकार बनाम ईश्वरसिंह की क्रियान्विति स्थगित किये जाने हेतु पेश किया है।  
 प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2017 की आगामी तारीख पेशी 25.09.2017 तक यथास्थिति बनाये रखे।  
 आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.09.2017 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर, सीकर

25/09/17

वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के जारी नोटिस पर विधिवत तामिल आवपूड अनुपस्थित। प्रार्थी मनोज कुमार की ओर से वकील श्री हरफूल सिंह खीचड़ ने आवेदन O.L.R.10 CPC पेश किया जो शकिल रहे। नकल डिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दि. 25/10/17 को पेश हो।

25/10/17

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरप्रसन्न ने कार्रगार स्पष्ट कर रखा है A.P.M हा. वाटर पधारे हुमे के बहुम साबित दि. 01/11/17 को पेश हो।

01/11/17

वकील उमरप्रसन्न उपस्थित। जवाब प्रा.पत्र हेतु समझ-चाठा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 06/11/17 को पेश हो।

6/11/17

वकील उमरप्रसन्न उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र O.L.R.10 CPC का जवाब पूरा अपील में पेश किया जा रहा है। पत्रावली के साथ दि. 10/11/17

10/11/17 वकील उत्तमपद्म उपास्थित | APM सा. वाहर पधारे हुमे  
ई वहुम्म साविका दि. 13/11/17 को पेश हो।

13/11/17 वकील-उत्तमपद्म उपास्थित | मूल पत्रावली के साथ  
दि. 13/11/17 को पेश हो।

17/11/17 वकील उत्तमपद्म उपास्थित | APM सा. वाहर पधारे हुमे  
ई वहुम्म साविका दि. 20/11/17 को पेश हो।

20/11/17 पत्रावली पेश हुई | वकील उत्तमपद्मकरान ने कार्यवाही  
स्थगित कर रखा है पत्रावली क्रमांक दि. 21/11/17  
को पेश हो।

21/11/17 वकील उत्तमपद्म उपास्थित | बहस सुनी गई।  
पत्रावली वास्ते आदेश दि. 27/11/17 को पेश  
हो।

27/11/17 वकील उत्तमपद्म उपास्थित | प्रार्थना-पत्र से  
संबंधित अपील का निस्तारण हो चुका है  
अब प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र स्थगित इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है पत्रावली फाइल  
मुनार होकर बाहर तहसिल दायिल दफतर हो।